नांक 22.02.2016 को अपरान्ह 5.00 बजे शिक्षणेत्तर कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा दिनांक 22.02.16 का दिये गये ज्ञापन एवं दिनांक 20.02.16 द्वारा प्रेषित पत्र के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कमेटी कक्ष में प्रशासनिक समिति की सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थिति निम्नवत रही:–

1. प्रो. के. जी. उपाध्याय अधिष्ठाता, संकाय मामले/छात्र मामले – अध्यक्ष
2. प्रो. उदय शंकर, अधिष्ठाता, परास्नातक शोध एवं विकास – सदस्य
3. प्रो. वी. के. गिरि, अधिष्ठाता, नियोजन/परीक्षा नियंत्रक। – सदस्य
4. प्रो. एस. के. श्रीवास्तव, अधिष्ठाता, स्नातक अध्ययन एवं उद्यमिता। – सदस्य
5. श्री के. पी. सिंह, कुलसचिव – सदस्य–सचिव
6. वित्त नियंत्रक – सदस्य

बैठक की कार्यवाई निम्नवत रही :–

बैठक में संघ के दिनांक 20.02.2016 के पत्र में इंगित बिन्दुओं (संलग्नक–1) पर बिन्दुवार निम्नवत निर्णय लिए गये :–

1. वर्ष 2009 में चयनित कर्मचारियों समूह 'ग' एवं 'घ' के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
2. वर्ष 2001 तक के दैनिक श्रमिकों के समायोजन का शासनादेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। शासनादेश संख्या 44/2015/वे.आ.–2–795/दस–54 (एम) 2008 टी.सी. दिनांक 13 अगस्त 2015 विभाग द्वारा अभी तक प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।
3. लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों हेतु निर्गत शासनादेश से संबंधित कार्यवाई प्रक्रियाधीन है।
4. टेक्नीकल कर्मचारियों हेतु निर्गत शासनादेश से संबंधित कार्यवाई प्रक्रियाधीन है।
5. कर्मचारियों की वर्षो से लम्बित पदोन्नति की कार्यवाई यथाशीघ्र नियमानुसार प्रारम्भ की जायेगी।
6. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की पदोन्नति चैनल से सम्बन्धित ~~कोई~~ कार्यवाई ~~अपेक्षित नहीं है~~ नियमानुसार की जायेगी।
7. श्री शशांक सिंह एवं श्रीमती विश्वभामा तिवारी की जॉच प्रचलित है, जॉच की कार्यवाई पूर्ण होने पर कार्यवाई की जायेगी, यद्यपि की गयी मांग संघ के उद्देश्यों से आच्छादित न होने के कारण कोई कार्यवाई संघ की मांग पर अपेक्षित नहीं है।
8. कर्मचारियों को ए.सी.पी. का लाभ दिया जा रहा है। अधिकारी यद्यपि शिक्षणेत्तर कर्मचारी के दायरे में नहीं आता है, फिर भी उनके लिए पृथक से नियमानुसार कार्यवाई सम्पन्न की गयी है।
9. शिक्षणेत्तर कर्मचारी कल्याण संघ के प्राविधानों से आच्छादित नहीं होने के कारण कोई कार्यवाई अपेक्षित नहीं है।
10. यथाप्रभावी शासन के आदेशानुसार मेडिकल रिर्म्बसमेन्ट/इनकैशमेन्ट की कार्यवाई की जाएगी।
11. विश्वविद्यालय हित में ही कर्मचारियो से कार्य लिया जा रहा है।
12. संघ द्वारा की गयी मांग संघ के उद्देश्यों से आच्छादित न होने के करण कोई कार्यवाई अपेक्षित नहीं है।

प्रशासनिक समिति द्वारा शिक्षणेत्तर कर्मचारी कल्याण संघ के उद्देश्यों के आलोक में संघ द्वारा की जा रही धरना, दिनांक 20 फरवरी, 2016 के मांग पत्र में की गयी मॉगों के संघ के उद्देश्यों से इतर होने के कारण यह भी निर्णय लिया गया कि संघ को सूचित कर दिया जाये कि वे शिक्षणेत्तर कर्मचारी कल्याण संघ के उद्देश्यों के अन्तर्गत रहते हुए ही विश्वविद्यालय कर्मचारियों पर प्रभावी आचरण नियमावली के अनुसार कार्यवाई करें। आचरण नियमावली सुसंगत अंशों की प्रति सूचनार्थ प्रेषित कर दी जाय।

शिक्षणेत्तर कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष एवं महामंत्री द्वारा मा. कुलाधिपति व मा. मुख्यमंत्री को प्रेषित किये जाने वाले पत्रों के लिए विश्वविद्यालय के लेटर पैड इस्तेमाल किये जाने वाले कारणों, सम्भव दुष्परिणाम व ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्यवाई सहित सभी सम्बन्धित पहलुओं पर पृथक से जॉच समिति गठित कर आख्या प्राप्त करने की संस्तुति की गयी।

बैठक अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

(के. पी. सिंह)	(वित्त नियंत्रक)	(एस. के. श्रीवास्तव)
(वी. के. गिरि)	(उदय शंकर)	(के. जी. उपाध्याय) 22/2/16